संख्या-817/38-5-04-9 जल/02 टी0सी0-II

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
(जलनिधि / स्वजलधारा कार्यक्रम)
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5   लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2004

विषयः भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के प्रस्तर 7.3.4 के अनुसार स्वजलधारा कार्यक्रम के लिए जिला स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (डी0डब्लू0एस0सी0) का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1645/डब्लू-314/2004, दिनॉक 12 फरवरी 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के प्रस्तर 7.3.4 में निम्नानुसार प्राविधान है:-

"स्वजलधारा कार्यक्रम के लिए जिला स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (डी0डब्लू0एस0सी0) का गठन किया जाना है"।

2- इस समिति की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे तथा इस समिति में जिला स्तरीय अधिकारी-गण, जैसे पेयजल और जिला पंचायत के कार्यकारी इंजीनियर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त तीन सदस्यों, जो विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों से होंगे, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस0डब्लू0एस0एम0) की पूर्वानुमति से इस समिति में सहयोगी-सदस्य बनाया जा सकता है। पेयजल या जिला पंचायत का कार्यकारी इंजीनियर अथवा डी0डब्लू0एस0एम0 की कार्यकारी समिति द्वारा चुना गया तथा एस0डब्लू0एस0एम0 कार्यकारी समिति से समर्थन प्राप्त एक अधिकारी डी0डब्लू0एस0सी0 का सदस्य-सचिव होगा।

3- यह उल्लेखनीय है कि "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" की "कार्यकारिणी समिति" की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनॉक 06-02-2004

[illegible] जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, मुख्य कार्यकारी जिला पंचायत / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जाये तथा इस समिति में जिला विकास अधिकारी को सदस्य-सचिव के रूप में नामित किये जाने की संस्तुति की गई है।

2-   अतः समिति द्वारा की गई उक्त संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर सम्यक् परीक्षणोपरान्त एवं विचारोपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य सचिव के रूप में जिला विकास अधिकारी को नामित किया जाता है।

3-   कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 817 (1) /38-5-2004, तददिनॉक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।।
2- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6- समस्त जिला अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- निदेशक, कोंगार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त, उ0प्र0।
9- समस्त जिला विकास अधिकारी/ परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
10- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-1 /3
12- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2
13- गार्ड बुक

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।